SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिला और महिला सशक्तिकरण

उमा पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार, गिरिडीह, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
उमा पाण्डेय, समाजशास्त्र विभाग,
पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार,
गिरिडीह, झारखंड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/12/2021
Revised on : -----
Accepted on : 31/12/2021
Plagiarism : 03% on 27/12/2021

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 3%

Date: Monday, December 27, 2021
Statistics: 66 words Plagiarized / 2245 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

izks0 mek ik.Ms; lgk;d iz/;kid lekt'kkL= foHkkx ikjlukFk egkfo/kky; bljh cktkj] fxfjfMg ¼>kj[kaM½ Email. ID-Umapandeyatka@gmail.com Mob-8709486695 efgyk vkSj efgyk l'kfDrdj.k 'kks/k lkj dbZ ,sls izek.k Hkh gS fd fL=;ksa us viuh Lora=rk dk xyr mi;ksx dj mPN'a[kyrk dk gh ifjp; fn;k gSSA ^jkuh esjh* dh mPN'a[kyrk ¼Øwjrk½ us gh mUgsa bfrgkl esa ^[kquh esjh* ds uke ls dq[;kr fd;kA bfUnjk xk;/kh }kjk vf/kjksfir nks o"kksZa dk vkikrdky vkt rd muds lQy O;fäUo ,oa Lof.kZe 'kklydky ij cnuqek nkx gSA vkt fQYeks?kksx dh dbZ vfHkusf=;k; lksprh gSa fd vax izn'kZu }kjk os n'kZdks fd chp vf/kd yksdfiz; gks

शोध सार

कई ऐसे प्रमाण भी है कि स्त्रियों ने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर उच्छृंखलता का ही परिचय दिया है। 'रानी मेरी' की उच्छृंखलता (क्रूरता) ने ही उन्हें इतिहास में 'खुनी मेरी' के नाम से कुख्यात किया। इन्दिरा गाँधी द्वारा अधिरोपित दो वर्षों का आपातकाल आज तक उनके सफल व्यक्तिन्व एवं स्वर्णिम शासनकाल पर बदनुमा दाग है। आज फिल्मोद्योग की कई अभिनेत्रियाँ सोचती हैं कि अंग प्रदर्शन द्वारा वे दर्शको कि बीच अधिक लोकप्रिय हो सकती है और इसलिए वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा को लाँघकर अंग प्रदर्शन करती हैं।

मॉडलिंग के क्षेत्र में तो स्थिति और भी बदतर है। फिल्म तथा मॉडलिंग से सम्बन्धित अधिकतर कार्यक्रमों एवं पत्रिकाओं में इस तरह की उच्छृंखलता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नारियों में ऐसी उच्छृंखलता सामान्य घरों में भी पाई जाती हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियाँ ऊँचे सपने देखती हैं और उन्हें साकार करने के लिए कुछ भी करने के लिए को तैयार रहती हैं। कुछ दिनों पहले मुम्बई की व्यस्त सड़क पर मात्र पन्द्रंह सौ रूपये तथा थोड़ी–सी लोकप्रियता के लिए दो लड़कियों ने बिना किसी झिझक के अपने कपड़े उतार दिए। यह घटना वास्तव में नारी–स्वतंत्रता की उपादेयता पर एक बड़ा प्रश्न–चिह्न है और उच्छृंखलता की पराकाष्ठा भी।

मुख्य शब्द

सशक्तिकरण, उच्छृंखलता, महिला, सांस्कृतिक, नारी स्वतंत्रता, पुरूष प्रधान.

प्रस्तावना

स्त्रियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग वास्तव में दुखद है। यह पुरूष–प्रधान समाज सदा से ही

नारी–स्वतंत्रता का विरोधी रहा है। ऐसे में महिलाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग तथा उच्छृंखलता का प्रदर्शन पुरूषों को उनके विरूद्ध षड्यंत्र करने के अवसर प्रदान करते है। महिलाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता का दुरूपयोग उन्हें नष्ट कर देगा। ऊँचे सपने देखना कदापि गलत नहीं है, किन्तु उन्हें साकार करने के लिए निम्नस्तरीय व्यवहार सदा ही गलत है। 'नारी' ही सम्पूर्ण विश्व की जननी है। विश्व की संस्कृति, प्रगति आदि सब उसी के गर्भ से उत्पन्न हेाती है। अतः आज नारी को विश्व के समक्ष ऐसा प्रतिमान स्थापित करना है कि उसकी अनिवार्यता ओर अपरिहार्यता को समग्र रूप से स्वीकार किया जा सके।

स्वतंत्रता का सदुपयोग तथा दुरूपयोग व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझतें हैं और इसको प्रयोग स्वार्थ–सिद्धि तथा निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु करतें हैं और कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता को अपना उत्तरदायित्व मानते हैं और इसका निर्वहन अपने समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए करते है। महिलाओं में भी ये दो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, किन्तु अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अत्यन्त कम है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरूषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होने तो प्रगति के मार्ग पर अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। शारीरिक एवं मानसिक कोमलता के कारण पहले महिलाओं को रक्षा संबंधी के उपयुक्त नहीं माना जाता था, किन्तु भारत की पहली महिला भारतीय आरक्षी सेवा अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा से इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा में महिलाएँ समान रूप से संलग्न हैं। नारी–समुदाय पर यह आरोप लगाया जाता था कि वे पुरूषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। संघ लोग सेवा आयोग की सर्वप्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में भावना गर्ग और विजयलक्ष्मी बिदारी जैसी नारियों ने इतिहास रचकर पुरूष के इस दंभ को भी तोड़ा है। पुरूष–वर्चस्व वाले फिल्मोघोग में सर्वप्रतिष्ठित दादा साहेब फालके पुरष्कार की पहली विजेता देविका रानी थी। सितम्बर 2001 में आयोजित 58वें वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लायन पुरस्कार भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्मात्री मीरा नायर की फिल्म 'मानसून वेडिंग' को मिला। भारत के लिए सम्मान की बात यह है कि मीरा नायर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। इस प्रकार, नारी को जिस क्षेत्र में अवसर तथा स्वतंत्रता मिला, उसने वहीं विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया।

वस्तुतः किसी देश की अन्तः संरचना तथा प्रगति नारी–स्वातंत्रय के समानुपाती होती है अर्थात् जिस देश में नारी की सहभागिता जितनी अधिक है, वहाँ की अन्तः संरचना उतनी ही मजबूत तथा प्रगति–दर उतनी ही तीव्र है। वर्ष 2000 में प्रकाशित अन्तरसंसदीय संघ की रिपोर्ट में विभिन्न देशों के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जानकारी देते हुए बताया गया है जो कि निम्न प्रकार से हैः

देश	संसद में महिलाओं का प्रतिशत
स्वीडन	42.70
डेनमार्क	37.40
फिनलैण्ड	36.50
भारत	09.00

उपरोक्त में प्रथम तीन देश इस मामले में अग्रणी है, तथा भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में 71वें स्थान पर है। वर्ष 2000 में ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'ट्रांसपेरेंसी इनटरनेशनल' ने विश्व के विभिन्न देशों की बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के क्रम मे एक सूची जारी की। इस सूची के अनुसार फिनलैण्ड विश्व का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में फिनलैण्ड के बाद डेनमार्क, न्यूजीलैण्ड, स्वीडन वा कनाडा के नाम हैं। इस क्रम में भारत का क्रम 69वां है।

उपर्युक्त दोनो रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है नारी की स्वतंत्रता एवं सहभागिता किसी देश की अन्तःसंरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय पदो पर कार्यरत् महिलाओं को प्रतिशत निम्न प्रकार से हैः

देश	विभिन्न पदों पर महिलाओं का प्रतिशत
कनाडा	42.2
स.रा. अमेरिका	42.0
चीन	11.6
भारत	02.3

उपरोक्त में हम भारत की स्थिति का स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में यहाँ स्त्रियाँ पदों पर स्थापित हैं। हम जानते हैं कि स.रा. अमेरिका, कनाडा तथा चीन आज विश्व मानचित्र पर विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, जबकि भारत एक संघर्षरत् विकासशील देश। इस प्रकार स्पष्ट है कि नारी–स्वातंत्रर्य प्रगतिशीलता को बढ़ाता है।

भारतीय जीवन का आधार वेद एवं शास्त्र है। शास्त्रों में लिखी बातें ही हमारे लिए प्रमाणित होती है। नारी की स्वतंत्रता को प्रगति का आवश्यक तत्व मानकर ही शास्त्रों में लिखा गया हैः

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''

(नारी की पूजा का अर्थ है– नारी की स्वतंत्रता और उसको प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार तथा देवता सम्पन्नता के सूचक है) इस प्रकार शास्त्रों में भी स्पष्ट है कि जहाँ नारी स्वतंत्र है, वहाँ सम्पन्नता निश्चित है। उच्छृंखलता व्यक्तिगत दोष है जो किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है। इसे स्वतंत्रता का परिणाम नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ विकास स्वतंत्रता का ही परिणाम मात्र है।

नारी एवं पुरूष राष्ट्र के आधार है दोनों ही विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए है। यदि किसी एक पहिए में किसी भी प्रकार कोई अवरोध होगा तो गाड़ी का आगे बढ़ पाना असम्भव होगा। अतः आवश्यक है कि पहिए आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हों।

भारत के संविधान में महिला–पुरूष, अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है। स्त्री–पुरूष सभी को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समान श्रेणी देने की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावता में सभी, चाहे नारी हो या पुरूष समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में, ''हम भारत के लोग ..... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है'' ये शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करने है और इस बात की ओर संकेत करता है कि संविधान का आधार उन लोगों (स्त्री और पुरूष दोनों) का अधिकार है।

हमारे देश का संविधान हमारी सर्वोच्च विधि है और इसके विभिन्न अनुच्छेदों में नारी–अधिकारों की बात कही गई है।

''भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा''। अतः कानून के सामने समानता की घोषणा की गई है, चाहे वह नारी हो या पुरूष।

''राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान के आधार पर नागरिको के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।'' अर्थात् हमारे संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट है कि पुरूष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए जाएँ। इसी अनुच्देद 15(3) में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार की ओर से महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधा या सरक्षा प्रदान की जाती है, तो उसे संविधान के विरूद्ध नहीं माना जाएगा। अर्थात् संविधान निर्माताओं का यह मानना है कि नारियों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। ''लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता'' संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियेाजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान इनमें से किसी

आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न विभेद किया जाएगा अर्थात् नारी को भी पुरूष के समान अवसर प्रदान किया गया है। अतः अनुच्छेद 16 के अनुसार समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है।

''शोषण के विरूद्ध अधिकार'' संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगा दी गई है। यह मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिशोध करता है। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज में नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार सदियों से समाज का अंग बन कर चले आ रहें है। इस पर संविधान के अनुच्छेद– 23 एवं 24 के द्वारा काफी सीमा तक रोक लगाई गई है।

संविधान के भाग–4 में (अनुच्छेद–36से51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्त्री–'पुरूष के रोजगार में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। अनुच्छेद–37 में कहा गया है कि इन आदर्श को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा समय–समय मर कानून बनाए जाएं। संविधान के भाग–4(अ) जो कि मूल कर्त्तव्यो के बारे में है, में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों।

अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य की ओर से जो नीति का निर्धारण किया जाएगा उसमें:

(क) भारत के नागरिक जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों को ही यह अधिकार होगा कि वे अपना जीवन–निर्वाह करने के लिए साधन जुटाएँ।

(ख) स्त्री–पुरूष दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्देश दिया गया है। अर्थात् नारी व पुरूष के मध्य समान कार्य के लिए वेतन के बारे में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने के लिए बाध्य है।

संविधान के अनुच्छेद–42: राज्य द्वारा महिलाओं के लिए प्रसूति–काल में राहत की व्यवस्था तथा काम के स्थान पर मानवीय सुविधा की व्यवस्था दी जाती है।

अनुच्छेद–43: यह मजदूरों के जीने के लिए अच्छा वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद–44: के द्वारा सरकार ने सभी पर समान रूप से नागरिक कानून लगाए है। संविधान के इस अनुच्छेद में समान दीवानी अधिकारों की कल्पना की गई है। यह अनुच्छेद अपेक्षा करता है कि ''राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागारिको के लिए समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।''

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–41, 42 व 43 के अन्तर्गत जो नीति निर्देशक तत्व है, उनमें नारी को विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद–41 के द्वारा नारी को काम का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, साथ ही बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी या अपाहिज होने की अवस्था में सुरक्षा प्राप्त है।

अनुच्छेद–325: संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति नामावली में सम्मिलित किए जाने के अयोग्य नहीं होगा, अर्थात् इस अनुच्छेद द्वारा हमारे संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरूष और स्त्री को समान मतदान अधिकार प्रदान किए गए है।

संविधान के इन प्रावधानों को देखकर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भारत में विधि–शासन ''रूल ऑफ लॉ'' है तथा यह पुरूष एवं स्त्री में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है एवं जहाँ पर नारी को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, वहाँ उन्हें प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करता है। इसी आधार पर संविधान का 73वाँ एवं 74वाँ संशोधन करके स्थानीय प्रशासन में नारी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो कि संविधान के अनुच्छेद–40 का ही संशोधन है एवं अभी वर्तमान में महिला आरक्षण की भी बात जोर पकड़ रही है जो कि संसद में पारित होने के लिए पेश हो चुका है।

निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंदिग्ध रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आत्मोन्नयन के साथ राष्ट्रोन्नयन को मूर्त रूप प्रदान किया है। महिलाओं ने इस पुरातन उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है कि यदि पुरूषों में क्षात्र–तेज है तो नारियों में भी दैवी शक्ति है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि समस्त क्षेत्रों में अपनी कार्यकुशलता एवं जीवट का परिचय देकर महिलाओ ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए है। चिर पुरातन काल से महिलाओं ने अपनी प्रखर बौद्धिकता, मेधा एवं करूणा, प्रेम जैसे नारी सुलभ गुणों द्वारा न केवल परिवार वरन् समाज को भी एकसूत्र में पिरोए रखा है।

रोजगार के क्षेत्र मे ंमहिलाओं ने प्राचीनकाल से अपनी भूमिका ''मनसा–वाचा कर्मणा'' बखूबी निभाई है। आज हम खेत–खलिहान से संसद भवन तक महिलाओं का सहभागिता को स्पष्टतः देख रहे हैं। एक प्राचीन कहावत है कि ''प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी–न–किसी महिला का योगदान होता है।''

सदंर्भ सूची

1. नाटाणी पी.एन., 2000, *भारत में सामाजिक समस्याएं,* पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर।
2. पाण्डेव केशव, 1997, *वानंत्योत्तर भारत में ग्राम्य विकास और गांधी दर्शन,* मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. बोहरा आशा, *भारतीय नारी–दशा दिशा,* नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. अग्रवाल जे.सी., *भारत में नारी शिक्षा,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. शर्मा प्रज्ञा, 2001, *महिला विकास और सशक्तिकरण,* पोइन्टर पब्लि0, जयपुर।
6. उपाध्याय रमेश, 1996, *हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार,* राधा पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
7. तिवारी आर.पी., 1999, *भारतीय नारीः वर्तमान समस्याएं और समाधान,* ए0पी0एच0, नई दिल्ली।

****